

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड- (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 45/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2024

सा.का.नि.....(अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं को उक्त तालिका के कॉलम (3) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या <b>24/2005 - सीमा शुल्क</b> , दिनांक 01 मार्च, 2005, सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "प्रिंट हेड असेंबली के साथ इंक कार्ट्रिज को छोड़कर; प्रिंट हेड असेंबली के बिना इंक कार्ट्रिज; इंक स्प्रे नोजल" शब्दों के स्थान पर, " प्रिंट हेड असेंबली वाले कार्ट्रिज या टोनर को छोड़कर; प्रिंट हेड असेंबली के बिना वाले कार्ट्रिज या टोनर; इंक स्प्रे नोजल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2.	अधिसूचना संख्या <b>73/2005 - सीमा शुल्क</b> , दिनांक 22 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005,	उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-  (i) क्रम संख्या 46 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2906 11" प्रतिस्थापित की जाएगी;

	के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	(ii) क्रम संख्या 181 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8806 10 00 से 8807 30 20" प्रतिस्थापित की जाएगी;								
3.	अधिसूचना संख्या 101/2007 - सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, सा.का.नि. 583(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-</p> <p>(i) क्रम संख्या 276 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-</p> <table border="1"> <tr> <td>"277क</td> <td>1905 90 51</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>277ख</td> <td>1905 90 59</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>50%";</td> </tr> </table> <p>(iii) क्रम संख्या 938 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7610 90 21, 7610 90 29" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(iv) क्रम संख्या 1016 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807 30 10, 8807 30 20" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p>	"277क	1905 90 51	सभी वस्तुएं	50%	277ख	1905 90 59	सभी वस्तुएं	50%";
"277क	1905 90 51	सभी वस्तुएं	50%							
277ख	1905 90 59	सभी वस्तुएं	50%";							
4.	अधिसूचना संख्या 10/2008 - सीमा शुल्क, दिनांक 15 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2008, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-</p> <p>(i) क्रम संख्या 203 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-</p> <table border="1"> <tr> <td>"203क</td> <td>3920 10 93</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>5.00%";</td> </tr> </table>	"203क	3920 10 93	सभी वस्तुएं	5.00%";				
"203क	3920 10 93	सभी वस्तुएं	5.00%";							

	II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	(ii) क्रम संख्या 299 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियां "63079091, 63079092, 63079099" प्रतिस्थापित की जाएंगी;				
5.	अधिसूचना संख्या <b>57/2009 - सीमा शुल्क</b> , दिनांक 30 मई, 2009, सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-  (i) क्रम संख्या 357 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् <table border="1" data-bbox="727 604 1349 680"> <tr> <td>"357क</td> <td>8479 89 80</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>20%";</td> </tr> </table> (ii) क्रम संख्या 408 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियां "8537 10 10, 8537 10 90" प्रतिस्थापित की जाएंगी;	"357क	8479 89 80	सभी वस्तुएं	20%";
"357क	8479 89 80	सभी वस्तुएं	20%";			
6.	अधिसूचना संख्या <b>151/2009 - सीमा शुल्क</b> , दिनांक 31 दिसंबर, 2009, सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2009, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 93क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;				
7.	अधिसूचना संख्या <b>152/2009 - सीमा शुल्क</b> , दिनांक 31 दिसंबर, 2009, सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2009, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 906क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807 (8807 30 को छोड़कर)" प्रतिस्थापित की जाएगी;				

8.	<p>अधिसूचना संख्या <b>69/2011 - सीमा शुल्क</b>, दिनांक 29 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 180 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 12 90, 2710 19 32, 2710 19 33, 2710 19 39" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p>			
9.	<p>अधिसूचना संख्या <b>50/2017-सीमा शुल्क</b>, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>I. तालिका में, क्रम संख्या 464 के समक्ष, कॉलम (2) में, प्रविष्टि "8537 10 00" के लिए, प्रविष्टि "8537 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>II. उपाबंध में, सूची 33 में, -</p> <p>(i) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक "8906 90 00" के लिए, अंक "8906 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक "6914 90 00" के लिए, अंक "6914 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>			
10.	<p>अधिसूचना संख्या <b>53/2017-सीमा शुल्क</b>, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 788(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-</p> <table border="1" data-bbox="704 1535 1411 1612"> <tr> <td data-bbox="704 1535 792 1612">"3क</td> <td data-bbox="792 1535 987 1612">2710 19 33</td> <td data-bbox="987 1535 1411 1612">सम्मिश्र विमान टरबाइन ईंधन";</td> </tr> </table>	"3क	2710 19 33	सम्मिश्र विमान टरबाइन ईंधन";
"3क	2710 19 33	सम्मिश्र विमान टरबाइन ईंधन";			

11.	<p>अधिसूचना संख्या <b>19/2019 - सीमा शुल्क,</b> दिनांक 06 जुलाई, 2019, सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 06 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-</p> <p>(i) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8705 90" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8906 90" प्रतिस्थापित की जाएगी;</p>												
12.	<p>अधिसूचना संख्या <b>25/2021 - सीमा शुल्क,</b> दिनांक 31 मार्च, 2021, सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 31 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका I में, -</p> <p>(i) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;</p> <p>(ii) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-</p> <table border="1" data-bbox="743 1119 1339 1230"> <tr> <td>“39क</td> <td>1905 90 51</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>27.00%</td> </tr> <tr> <td>39ख</td> <td>1905 90 59</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>27.00%”;</td> </tr> </table> <p>(iii) क्रम संख्या 235 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-</p> <table border="1" data-bbox="743 1444 1339 1497"> <tr> <td>“235क</td> <td>3920 10 93</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>6%”;</td> </tr> </table>	“39क	1905 90 51	सभी वस्तुएं	27.00%	39ख	1905 90 59	सभी वस्तुएं	27.00%”;	“235क	3920 10 93	सभी वस्तुएं	6%”;
“39क	1905 90 51	सभी वस्तुएं	27.00%											
39ख	1905 90 59	सभी वस्तुएं	27.00%”;											
“235क	3920 10 93	सभी वस्तुएं	6%”;											
13.	<p>अधिसूचना संख्या <b>22/2022 - सीमा शुल्क,</b> दिनांक 30 अप्रैल, 2022, सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका I में, -</p> <p>(i) क्रम संख्या 1163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;</p>												

3, उप खंड (i) में प्रकाशित

(ii) क्रम संख्या 1169 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“1169क	1905 90 51	सभी वस्तुएं	14
1169ख	1905 90 59	सभी वस्तुएं	14”;

(iii) क्रम संख्या 1635 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

“1635क	2710 19 33	सभी वस्तुएं	2”;
--------	------------	-------------	-----

(iv) क्रम संख्या 2168 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2906 11 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 2168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

“2168क	2906 11 90	सभी वस्तुएं	0”;
--------	------------	-------------	-----

(vi) क्रम संख्या 2584 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 2629 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“2629क	2924 29 80	सभी वस्तुएं	0”;
--------	------------	-------------	-----

(viii) क्रम संख्या 3824 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"3824क	3818 00 20	सभी वस्तुएं	0
3824ख	3818 00 30	सभी वस्तुएं	0";

(ix) क्रम संख्या 6054 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5703 29 21" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 6054 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और संगत प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्

"6054क	5703 29 22	सभी वस्तुएं	0
6054ख	5703 29 29	सभी वस्तुएं	0";

(xi) क्रम संख्या 6059 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

"6059क	5703 39 31	सभी वस्तुएं	0
6059ख	5703 39 32	सभी वस्तुएं	0
6059ग	5703 39 33	सभी वस्तुएं	0
6059घ	5703 39 39	सभी वस्तुएं	0";

(xii) क्रम संख्या 6843 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"6843 क	6307 90 92	सभी वस्तुएं	0";
---------	------------	-------------	-----

(xiii) क्रम संख्या 6907 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"6907क	6506 10 20	सभी वस्तुएं	0";
--------	------------	-------------	-----

(xiv) क्रम संख्या 7078 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6914 90 10" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xv) क्रम संख्या 7078 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“7078क	6914 90 90	सभी वस्तुएं	4”;
--------	------------	-------------	-----

(xvi) क्रम संख्या 7884 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “7308 10 10” को प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xvii) क्रम संख्या 7884 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“7884क	7308 10 90	सभी वस्तुएं	0”;
--------	------------	-------------	-----

(xviii) क्रम संख्या 8208 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “7610 90 21” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xix) क्रम संख्या 8208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“8208क	7610 90 29	सभी वस्तुएं	4”;
--------	------------	-------------	-----

(xx) क्रम संख्या 8600 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

“8600क	8412 29 20	सभी वस्तुएं	0”;
--------	------------	-------------	-----

(xxi) क्रम संख्या 8862 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8430 69 10” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxii) क्रम संख्या 8862 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“8862क	8430 69 90	सभी वस्तुएं	0”;
--------	------------	-------------	-----

(xxiii) क्रम संख्या 9484 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

“9484क	8479 89 80	सभी वस्तुएं	3”;
--------	------------	-------------	-----

(xxiv) क्रम संख्या 9949 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8537 10 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxv) क्रम संख्या 9949 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

“9949क	8537 10 90	सभी वस्तुएं	4”;
--------	------------	-------------	-----

(xxvi) क्रम संख्या 10203 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियां “87113010, 87113020, 87113090, 87114010, 87114090, 87115000, 87116010, 87116020, 87116030, 87116080, 87116090, 87119010, 87119090” प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxvii) क्रम संख्या 10204 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियां “87113010, 87113020, 87113090, 87114010, 87114090, 87115000, 87116010, 87116020, 87116030, 87116080, 87116090, 87119010, 87119090” प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxviii) क्रम संख्या 10248 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8807 30 10” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxix) क्रम संख्या 10248 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

		<table border="1"> <tr> <td>“10248क</td> <td>8807 30 20</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>0”;</td> </tr> </table> <p>(xxx) क्रम संख्या 10284 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8906 90 10” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(xxxi) क्रम संख्या 10284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -</p> <table border="1"> <tr> <td>“10284क</td> <td>8906 90 90</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>0”;</td> </tr> </table> <p>(xxxii) क्रम संख्या 10617 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9305 99 10” प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(xxxiii) क्रम संख्या 10617 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -</p> <table border="1"> <tr> <td>“10617क</td> <td>9305 99 90</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>0”;</td> </tr> </table>	“10248क	8807 30 20	सभी वस्तुएं	0”;	“10284क	8906 90 90	सभी वस्तुएं	0”;	“10617क	9305 99 90	सभी वस्तुएं	0”;
“10248क	8807 30 20	सभी वस्तुएं	0”;											
“10284क	8906 90 90	सभी वस्तुएं	0”;											
“10617क	9305 99 90	सभी वस्तुएं	0”;											
14.	<p>अधिसूचना संख्या 62/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 26 दिसंबर, 2022, सा.का.नि. 904(अ), दिनांक 26 दिसंबर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, तालिका I में, -</p> <p>(i) क्रम संख्या 889 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -</p> <table border="1"> <tr> <td>“889क</td> <td>2710 19 33</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>2.0”;</td> </tr> </table> <p>(ii) क्रम संख्या 1393 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2906 11 10” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;</p> <p>(iii) क्रम संख्या 1393 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <table border="1"> <tr> <td>“1393क</td> <td>2906 11 90</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>0.0”;</td> </tr> </table>	“889क	2710 19 33	सभी वस्तुएं	2.0”;	“1393क	2906 11 90	सभी वस्तुएं	0.0”;				
“889क	2710 19 33	सभी वस्तुएं	2.0”;											
“1393क	2906 11 90	सभी वस्तुएं	0.0”;											

(iv) क्रम संख्या 1745 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 1793 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“1793क	2924 29 80	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(vi) क्रम संख्या 2930 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“2930क	3818 00 20	सभी वस्तुएं	0.0
2930ख	3818 00 30	सभी वस्तुएं	0.0”;

(vii) क्रम संख्या 4754 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “5703 29 21” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(viii) क्रम संख्या 4754 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“4754क	5703 29 22	सभी वस्तुएं	11.4% या 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
“4754ख	5703 29 29	सभी वस्तुएं	11.4% या 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो”;

(ix) क्रम संख्या 4758 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

			“4758क	570 39 31	सभी वस्तुएं	11.4% या 31.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
			4758ख	5703 39 32	सभी वस्तुएं	11.4% या 31.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
			4758ग	5703 39 33	सभी वस्तुएं	11.4% या 31.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
			4758घ	5703 39 39	सभी वस्तुएं	11.4% या 31.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो
			(x) क्रम संख्या 5285 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:			
			“5285क	6307 90 92	सभी वस्तुएं	5.7”;

(xi) क्रम संख्या 5343 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“5343क	6506 10 20	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xii) क्रम संख्या 5502 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “6914 90 10” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xiii) क्रम संख्या 5502 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“5502क	6914 90 90	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xiv) क्रम संख्या 6283 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “7308 10 10” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xv) क्रम संख्या 6283 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“6283क	7308 10 90	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xvi) क्रम संख्या 6499 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “7610 90 21” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xvii) क्रम संख्या 6499 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“6499क	7610 90 29	सभी वस्तुएं	7.9”;
--------	------------	-------------	-------

(xviii) क्रम संख्या 6870 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“6870क	8412 29 20	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xix) क्रम संख्या 7078 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “8430 69 10” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xx) क्रम संख्या 7078 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“7078क	8430 69 90	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xxi) क्रम संख्या 7608 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“7608क	8479 89 80	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xxii) क्रम संख्या 7890 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “8537 10 10” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxiii) क्रम संख्या 7890 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“7890क	8537 10 90	सभी वस्तुएं	4.3”;
--------	------------	-------------	-------

(xxiv) क्रम संख्या 8081 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “8807 30 10” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxv) क्रम संख्या 8081 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“8081क	8807 30 20	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

(xxvi) क्रम संख्या 8109 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “8906 90 10” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxvii) क्रम संख्या 8109 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“8109क	8906 90 90	सभी वस्तुएं	0.0”;
--------	------------	-------------	-------

		(xxviii) क्रम संख्या 8293 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "9305 99 10" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;				
		(xxix) क्रम संख्या 8293 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:				
		<table border="1"> <tr> <td>"8293क</td> <td>9305 99 90</td> <td>सभी वस्तुएं</td> <td>0.0".</td> </tr> </table>	"8293क	9305 99 90	सभी वस्तुएं	0.0".
"8293क	9305 99 90	सभी वस्तुएं	0.0".			

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 190354/151/2024-टीआरयू]

(अमृता टाइटस)

उपसचिव, भारत सरकार

**टिप्पणी:**

1. मूल अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 122 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 331(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
2. मूल अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 498 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 333(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

3. मूल अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 333(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
4. मूल अधिसूचना संख्या 10/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 15 जनवरी, 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 33 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 333(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
5. मूल अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
6. मूल अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 942 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 333(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
7. मूल अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 58/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 9 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 727(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

8. मूल अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 333(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
9. मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितम्बर, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 573(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2024के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
10. मूल अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 788(अ), दिनांक 30 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 59/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. संख्या 908(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
11. मूल अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 27 जून, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 352(अ), दिनांक 27 जून, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
12. मूल अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 241(अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मार्च, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 196(अ), दिनांक 14 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
13. मूल अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या

40/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 456(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

14. मूल अधिसूचना संख्या 62/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 904(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 68/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 जिसे सा.का.नि. संख्या 929(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।